

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- होमाराम पुत्र सुखाराम --:बनाम::-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :-293 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.25	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2025 केम्प रामावासकलां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- रामावासखुर्द में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सं. 2075-78 के खाता सं. 55 ख.नं. 111, 112/185, 32, 34, 72 में प्रार्थी का नाम सोमा पुत्र सुखा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में होमाराम पुत्र सुखाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम सोमा पुत्र सुखा के स्थान पर होमाराम पुत्र सुखाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान निम्बोल में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निम्बोल व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- रामावासखुर्द में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 55 ख.नं. 111, 112/185, 32, 34, 72 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सोमा पुत्र सुखा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में होमाराम पुत्र सुखाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सोमा पुत्र सुखा के स्थान पर होमाराम पुत्र सुखाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा- रामावासखुर्द में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 55 ख.नं. 111, 112/185, 32, 34, 72 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सोमा पुत्र सुखा को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक “ होमाराम पुत्र सुखाराम ” दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO</p>	